निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 62 / 2025
दायरा दिनांकः–08.07.2025
निर्णय दिनांकः– 4.11.25

उनवान

1. रामबाई आयु 48 वर्ष पुत्री बाबू जाति चमार निवासीगण भोजपुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 4-11-25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त भूमि खाता संख्या 79 / 22 खसरा नम्बर 138 / 4 की रकबा 2.2890 हैक्टयर जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1 / 20 तथा खाता संख्या 40 / 6 खसरा नम्बर 2 / 4 रकबा 0.7588 हैक्टयर भूमि जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1 / 5 है। उक्त भूमि ग्राम बदनवास तहसील छबडा में स्थित है उक्त भूमि को प्रार्थीया ही कब्जा काश्त करती चली आ रही है। उक्त खाते मे प्रार्थीया का नाम रामबाई के स्थान पर रम्भोबाई राजस्व कर्मचारियो द्वारा कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीया का नाम समस्त दस्तावेजात मे रामबाई है। प्रार्थीया का नाम उक्त खाते मे रामबाई के स्थान पर रम्भोबाई होने से प्रार्थीया सरकार द्वारा मुआवजा राशि व के.सी.सी. व अन्य उक्त दोनो खाते मे प्रार्थीया का नाम रम्भोबाई पुत्री बाबू क स्थान पर रामबाई पुत्र बाबू किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब छबडा को देने के बाद जांच के दौरान हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि धारा 136 एल०आर०एक्ट का दावा करने पर खाते मे नाम सही होने की बात कहने पर वाद कारण दिनांक 25 / 06 / 2025 को उत्पन्न हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये नोटिस तलब किया गया पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट/जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बदनवास सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 79 नकल जमाबन्दी ग्राम बदनवास सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 40 फोटो प्रति आधार कार्ड, रामबाई, परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीय का कथन है कि विवादित आराजी वाके बदनवास तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा है जो प्रार्थीया के कब्जे काश्त में चली आ रही है खाते में प्रार्थीया का नाम रामबाई के स्थान पर रम्मों बाई सहवन से दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का सही नाम रामबाई है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीया को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ नही मिल पा रहे है जिसमें प्रार्थीया को काफी नुकसान हो रहा है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में सही नाम रामबाई दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का गलत नाम राम्मा बाई हो गया है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में रम्मा बाई के स्थान पर रामाबाई दर्ज कराने की अधिकारी है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बदनवास में खाता संख्या 40,79 में वर्तमान जमाबन्दी में रम्मों बाई पुत्री बाबू जाति चमार सा0 भोजुपर दर्ज रिकार्ड है जो कि नामान्तरण संख्या 448 दिनांक 11.05.2017 से जर्ये विरासत दर्ज हुआ जो कि आदिनांक तब चला आ रहा है। ग्राम वासियान से जानकारी लेने पर बताया गया कि रम्मो बाई को गांव में रामबाई के नाम से भी जाना जाता है। रम्मों बाई के आधार कार्ड, वोटर आई डी, आदि दस्तावेज में रामबाई दर्ज है ग्राम वासियों द्वारा बताया कि रामबाई पुत्री बाबू चमार व रम्मो बाई पुत्री बाबू चमार दो अलग–अलग महिला ना होकर दोनो एक ही महिला होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बदनवास सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 79 एवं खाता संख्या 40 में रम्मो बाई पुत्री बाबू जाति चमार दर्ज है फोटो प्रति आधार कार्ड, में रामबाई पत्नि रामदयाल फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड में रामाबाई पत्नि रामदयाल दर्ज है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट में भी प्रार्थीया का नाम रामबाई पुत्री बाबू चमार बताया रम्मो बाई पुत्री बाबू एवं रामाबाई पुत्री बाबू दोनो नाम एक ही महिला के होना बताया है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का सही नाम रामबाई है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सही करवाना चाहती है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बदनवास तहसील छबडा के खसरा नम्बर 138/4 रकबा 2.2890 है0 खसरा नम्बर 2/4 रकबा 0.7588 है0 में दर्ज प्रार्थीया का नाम रम्मो बाई पुत्री बाबू के स्थान पर रामबाई पुत्री बाबू दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा